राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप, तहसीलदार

मिसल संख्या : 122/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 06.09.2018

निर्णय दिनांक : 30.09.2021

राजस्थान सरकार **बनाम** सन्तोष देवी पत्नि राधाकिशन जाति कुमावत नि0 कुचामन सिटी

:: निर्णय ::

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूपपुरा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया सन्तोष देवी पत्नि राधाकिशन जाति कुमावत निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 257 कुल रकबा 8.06 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बारानी द्वितीय में से रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत 2075 खरीफ में अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीया के विरूध जारी नोटिस बार–बार अदम तामील प्राप्त हुए। जिस के संबंध में पटवारी हल्का से अप्रार्थीया का नाम व पूर्ण पता तथा उक्त खसरा की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गयी। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश कर न्यायालय को अवगत कराया कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 257 रकबा 8.06 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण नही है। इसलिये इन के विरूद्व की गयी कार्यवाही बन्द कर दी जावे।

पत्रावाली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने व पटवारी हल्का से पुनः ली गयी रिपोर्ट से साबित होता है कि अप्रार्थीया के द्वारा किया गया अतिकमण हटा लिया गया है। इसलिये इसके विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गयी कार्यवाही बन्द की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप)

तहसीलदार कुचामन सिटी

जिला- नागौर